उन्हें सुहाए, इन्हें सताए लोकवाणी

प्रदेश में नजरअंदाज सॉफ्टवेयर को आज कोचीन में 'गोल्डेन आइकॉन' सम्मान मिलेगा

कमलेश श्रीवास्तव

लखनऊ। असम, उत्तरांचल उड़ीसा, प.बंगाल, छत्तीसगढ़ में ई-प्रशासन भले ही कुलाँचें मार रहा हो लेकिन यूपी में यह हाँफता नजर आ रहा है। प्रदेश में ई-प्रशासन को धारदार बनाने में कारगर सॉफ्टवेयर 'लोकवाणी' गुरुवार को कोचीन में प्रतिष्ठित 'गोल्डेन आइकॉन' पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहा है। नौकरशाही से जवाब-तलब करने वाले इस सॉफ्टवेयर को उत्तर प्रदेश में नजरअंदाज किया जा रहा है

सीतापुर में लोकवाणी सॉफ्टवेयर के सफल प्रयोग को देखते हुए 16 जून 2005 को प्रदेश के तत्कालीन औद्योगिक विकास आयुक्त अतुल कुमार गुप्ता ने एक शासनादेश जारी कर प्रदेश के सभी प्रमुख सचिवों, मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वह अपने अपने जिलों में 15 अगस्त 2005 तक लोकवाणी सॉफ्टवेयर का संचालन शुरू कर दें। लेकिन समय सीमा खत्म होने के साढ़े पाँच महीने के बाद भी प्रदेश के 70 जिलों में से सिर्फ सात जिलों में ही इसका संचालन शुरू हो पाया। इन जिलों में सीतापुर के अलावा हरदोई, गाजियाबाद, मेरठ, उन्नाव, फर्रुखाबाद और बस्ती शामिल है। लोकवाणी सॉफ्टवेयर की सफलता से उत्साहित एनआईसी के प्रदेश प्रभारी एसबी सिंह कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में यह बेहद कारगर है। वहाँ साधारण आदमी को जिलाधिकारी तक अपनी फरियाद पहुँचाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वह मात्र दस रुपए में त्वरित गति से अपनी शिकायत जिलाधिकारी तक पहुँचा सकता है। इतना ही नहीं वह भू-अभिलेखों व अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी भी पा सकता है। केन्द्र के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने लोकवाणी सॉफ्टवेयर की उपयोगिता देखते हुए इसे 'गोल्डेन आइकॉन' जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। कोचीन में गुरुवार से पाँच फरवरी तक होने वाले ई-गवर्नेंस पर आयोजित सेमिनार में यह सम्मान दिया जाएगा।

आसानी से होता है शिकायतों का समाधान

❒ एनआईसी के सहयोग से प्रदेश सरकार के लिए तैयार लोकवाणी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए प्रमुख रूप से जनता की शिकायतों का ऑन लाइन पंजीकरण, उनका अवलोकन व निस्तारण होता है। इसके माध्यम से शस्त्र लाइसेंस, भू-अभिलेखों की उपलब्धता की स्थिति, सरकार के विकास कार्यों व कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी आय, जाति, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस तक जारी किए जा सकते हैं।

सीतापुर जिले में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है तथा इसे ही मॉडल माना गया है। शासन द्वारा इस सॉफ्टवेयर के संचालन के लिए प्रत्येक जिले में समिति बनाने का निर्णय लिया गया। लोकवाणी व जिले के नाम के अनुसार बनी समिति के चेयरमैन जिलाधिकारी व सदस्य सीडीओ, अपर जिलाधिकारी, कोषाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट व उप जिला अधिकारी होंगे। तकनीक सदस्य के रूप एनआईसी

आसानी से होता है शिकायतों ...

का जिला प्रभारी या जिला सूचना विभाग अधिकारी होगा। समिति द्वारा तय साइबर कैफे या कम्प्यूटर केन्द्र पर कोई भी व्यक्ति मात्र दस रुपए प्रति पेज अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस शिकायत का वह एक या दो हफ्ते बाद अवलोकन भी कर सकता है। ऑन लाइन शिकायतों का निस्तारण सीधे जिलाधिकारी की निगरानी में होता है। इन शिकायतों को सम्बंधित विभागों को सौंप कर उनसे एक या अधिकतम दो हफ्तों में जवाब माँगा जाता है।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com